फर्द अहकाम
(नियम–26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रामूराम वगैरह बनाम चुकीदेवी वगैरह

किस्म अपील 225 आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या.........6.........सन.......2026.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.01.2026	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सांचोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2026 बअनवान चुकीदेवी वगैरह बनाम रामूराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अंतरिम व्यादेश हेतु दिनांक 21.01.2026 को पेश हों।	
21.01.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 वादीगण द्वारा अपीलांट्स व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2026 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.02.2026 तक के लिए पारित की गई हैं। हमारे विनम्र मत में इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अधिवक्ता अपीलांट रेस्पोंडेन्ट की तलबी हेतु पंजीकृत डाक से सम्मन–तलबाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 16.02.2026 को पेश हों।	
16/2/26	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने Not Press अंकित कर निवेदन किया कि वह उक्त अपील आगे नहीं चलाना चाहते। अधिवक्ता अपीलांट के निवेदन पर उक्त अपील जरिये Not Press खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा रिकार्ड हो।	Not Press एडवोकेट गोरधनराम विश्नोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली